न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10 / 2024 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री तरूण कुमार मोदी पुत्र श्री दिलीप कुमार मोदी
   मैनेजर मैसर्सः—मोदी किराना स्टोर, बडी चौपड, बालाहेडी महवा जिला दौसा।
2. श्री दिलीप कुमार मोदी पुत्र श्री ओमप्रकाश मोदी
   मालिक मैसर्सः—मोदी किराना स्टोर, बडी चौपड, बालाहेडी महवा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित।

—ः आदेश ः— दिनांकः— 27.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 29.09.2023 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्सः—मोदी किराना स्टोर बडी चौपड, बालाहेडी दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री तरूण कुमार मोदी पुत्र श्री दिलीप कुमार मोदी उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मैनेजर होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण आवेदन होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर ढक्कन लगी हुई स्टील की टंकी में करीबन 15 किग्रा सरसों का तेल(लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 1600 ग्राम सरसों का तेल (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बे में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 192 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसों का तेल (लूज) को चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की बोतल में बराबर—बराबर डालकर बोतलों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—3860 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से [illegible] बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर [illegible] से बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. [illegible] की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर [illegible] प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सु[illegible] अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:51 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 03.10.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बोतल व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 03.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये तथा नमूने की चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 03.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1799 / एक्ट / 2023 / 1821 दिनांक 13.10.2023 प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) का नमूना नियम 2.3.15**(b)** एफएसएस **(Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला तेल बेचना) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये ना ही उनकी ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1799 / एक्ट / 2023 / 1821 दिनांक 13.10.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) का नमूना जांच रिपोर्ट में नियम 2.3.15**(b)** एफएसएस **(Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला तेल बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा सरसों का तेल खुली अवस्था में विक्रय किया जाकर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1799 / एक्ट / 2023 / 1821 दिनांक 13.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) का नमूना नियम 2.3.15**(b)** एफएसएस **(Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन (खुला तेल बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:51 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा सरसों का तेल (लूज) का विक्रय किये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 1 श्री तरूण कुमार मोदी पुत्र श्री दिलीप कुमार मोदी मैनेजर मैसर्सः—मोदी किराना स्टोर, बडी चौपड, बालाहेडी महवा जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री दिलीप कुमार मोदी पुत्र श्री ओमप्रकाश मोदी मालिक मैसर्सः—मोदी किराना स्टोर, बडी चौपड, बालाहेडी महवा जिला दौसा पर 2,00,000/— (अक्षरे दो लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण 2 उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.01.2025 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2025/ दिनांकः— .01.2025

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री तरूण कुमार मोदी पुत्र श्री दिलीप कुमार मोदी
   मैनेजर मैसर्सः—मोदी किराना स्टोर, बडी चौपड, बालाहेडी महवा जिला दौसा।
4. श्री दिलीप कुमार मोदी पुत्र श्री ओमप्रकाश मोदी
   मालिक मैसर्सः—मोदी किराना स्टोर, बडी चौपड, बालाहेडी महवा जिला दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:51 IST
Reason: SelfAttested